रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 1995/चैत्र 10, 1917
No. 53] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 1995/CHAITRA 10, 1917

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1995

सं. 6-58/93-पी. ई.-II.—प्रतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सेवा शर्तों तथा परिलब्धियों और उनको उपलब्ध अन्य सुविधाओं की जांच का मुद्दा कुछ समय से भारत सरकार के विचाराधीन रहा है। सरकार ने इस प्रयोजनार्थ अब एक एक-सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

2. दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति चरणजीत तलवार समिति गठित करेंगे।

3. समिति अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सेवा शर्तों की जांच करेगी और आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तन सुझाएगी। समिति के विचारार्थ विषयों में, अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित विषय शामिल होंगे :—

(क) अतिरिक्त विभागीय एजेंसी प्रणाली, रोजगार की शर्तों, एजेंटों के वेतन ढांचे की जांच करना और आवश्यक समझे जाने वाले उपयुक्त परिवर्तनों की सिफारिश करना।

(ख) एजेंसी आधार पर काम पर लगे कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने के औचित्य की जांच करना।

(ग) भर्ती की पद्धति, नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं तथा आचरण और अनुशासनिक नियमों में किसी प्रकार के परिवर्तनों के लिए सुझाव देना और उनकी जांच करना; और

(घ) विभिन्न श्रेणियों के अतिरिक्त विभागीय डाकघरों में जनता को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की पुनरीक्षा करना।

4. समिति एक वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी और इसके कार्यकाल को बढ़ाना सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा।

5. समिति के अध्यक्ष को विभाग के एक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी द्वारा सहायता दी जाएगी, जो अतिरिक्त विभागीय समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा। डाक विभाग द्वारा समिति को पर्याप्त स्टाफ सहायता प्रदान की जाएगी। समिति पांचवें वेतन आयोग को समय-समय पर अपने कार्य की प्रगति की जानकारी देगी।

6. समिति अपनी प्रक्रिया स्वयं तैयार करेगी और वह ऐसी सूचना मांग सकती है और ऐसे साक्ष्य ले सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझती है।

7. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

ए० वी० राव, सदस्य (कार्मिक) और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Post)

RESOLUTION

New Delhi, the 31st March, 1995

No. 6-58/93-PE.II.—The question of examining the conditions of service and emoluments and other facilities available to the Extra-Departmental Agents

has been under the consideration of the Government of India for some time. The Government has now decided to set up a One-man Committee for the purpose

2. Justice Charanjit Talwar, Retired Judge of Delhi High Court will constitute the Committee.

3. The Committee will go into the service conditions of Extra-Departmental Agents and suggest changes as considered necessary. The terms of reference of the Committee will, inter-alia, include the following :—

(a) To examine the system of Extra-Departmental Agency, the conditions of employment, the wage structure of the agents and recommend suitable changes considered necessary.

(b) To examine the reasonableness of introducing a Social Security Scheme for providing P. F. and retirement benefits for employees engaged on Agency basis.

(c) To examine and suggest any changes in the method of recruitment, the minimum qualifications for appointment, and conduct and disciplinary rules, and

(d) To review facilities provided for the public at different classes of Extra Departmental Post Offices.

4. The Committee will function for a period of one year extendable at the discretion of the Government.

5. The Chairman of the Committee will be assisted by a Senior Administrative Grade Officer of the Department, who will act as Secretary to the ED Committee. Adequate staff support will be provided to the Committee by the Department of Post. The Committee will keep the Vth Cenfral Pay Commission informed of the progress of its work from time to time.

6. The Committee will devise its own procedure and may call for such information and take such evidence, as considered necessary.

7. The headquarters of the Committee will be at New Delhi.

A. V. RAO, Member (Personnel) and Ex-Officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110054
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995